**बिहार सरकार**

**<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>**

पत्रांक 145731 पटना, दिनांक 15/04/2013

ग्रा० वि० 9(ख) BRDS -45/2013

प्रेषक,

**अमृत लाल मीणा,**

सचिव ।

सेवा में,

**<u>सभी जिला कार्यक्रम समन्वयक-सह-जिला पदाधिकारी /</u>**

**<u>सभी अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक-सह-उप विकास आयुक्त</u>**,

बिहार ।

**विषय :- कार्यक्रम पदाधिकारियों के रिक्त पदों का अतिरिक्त प्रभार प्रखंड विकास पदाधिकारियों को देने के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य में कई प्रखंडों में कार्यक्रम पदाधिकारी के पद रिक्त हो गए हैं । चल रही व्यवस्था के अनुरूप निकट के प्रखंड के कार्यक्रम पदाधिकारी को प्रभार दिया जा रहा है । ऐसा देखा गया है कि कार्यक्रम पदाधिकारियों के पास कार्य बोझ अधिक होने के कारण वे अतिरिक्त प्रभार के कार्यों को संपन्न करने में कठिनाई महसूस करते हैं । स्थिति पर सम्यक विचारोपरांत विभाग के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जिन प्रखंडों में कार्यक्रम पदाधिकारी का पद किसी कारण से रिक्त हो गई हो, वहाँ के कार्यक्रम पदाधिकारी का प्रभार संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया जाय । इस हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी की कार्य क्षमता, कार्य दक्षता एवं मनरेगा के प्रावधानों के संबंध में समुचित जानकारी ससमय प्रशिक्षण के माध्यम से सुनिश्चित करा दी जाय ।

2. कई ग्राम पंचायतों में पंचायत रोजगार सेवक के पद रिक्त हैं । वहाँ पर भी आवश्यकतानुसार पंचायत सचिव को पंचायत रोजगार सेवक का प्रभार दिलाया जाय । इस हेतु भी यह आवश्यक होगा कि पंचायत सचिवों को पंचायत रोजगार सेवक के दायित्वों के बारे में प्रशिक्षण के माध्यम से पूरी जानकारी दे दी जाय । तदोपरांत उन्हें यह जिम्मेदारी दी जाय ।

विश्वासभाजन

९.४.१३

**(अमृत लाल मीणा)**

सचिव